27/6/18 अंश यह पत्रावली राजस्व लोक न्यायालय
विद्युत केन्द्र नारायणपुरा के मूल वाद के साथ पेश
की। इस प्रा.पत्र को सम्बंधित मूल वाद एक
लावारी का दावा पत्रावली में शामिल है। एवं इसका ही
अब इस प्रा.पत्र को दावा चलाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः प्रा.पत्र 212/R.T निपटा इसी स्थान
पर खारिज किया जाता है। मिसल केवल 2 माह
होने तक से वकील पक्ष एडवोकेट
शामिल रहता है।

Scanned by CamScanner